सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 940 राँची, बुधवार, 3 अक्टूबर, 2018 (ई०)

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

---

संकल्प

19 सितम्बर, 2018

कृपया पढ़े:-

1. प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका का पत्रांक-125/आ०, दिनांक 18 नवम्बर, 2009
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-4110, दिनांक 21 जुलाई, 2011, संकल्प सं०-8259, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, पत्रांक-6725, दिनांक 28 जुलाई, 2015, पत्रांक-4390, दिनांक 25 मई, 2016, पत्रांक-7842, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 एवं पत्रांक-5326, दिनांक 17 जुलाई, 2018
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक- 82, दिनांक 12 फरवरी, 2015
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक- 1971, दिनांक 28 अगस्त, 2018

**संख्या-5/आरोप-1-555/2014 का.-7103--** श्री रविन्द नाथ पण्डा, तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक-125/आ०, दिनांक 18 नवम्बर, 2009 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोपों को विभाग स्तर पर प्रपत्र- 'क' का गठन किया गया है । श्री पण्डा के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप- भ्रष्टाचार के उद्देश्य से अवैध रूप से बिना विज्ञापन निकाले एवं बिना प्रक्रिया का पालन किये मानमाने ढंग से 27 व्यक्तियों को सफाई मुहर्रिर के कार्य हेतु नियुक्त करना ।

आरोप का विवरण- प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय के पत्रांक- 282/स्था० दिनांक 15 मई, 2009 के द्वारा श्री सामसुन मरांडी एवं अन्य 13 व्यक्तियों से प्राप्त परिवाद पत्र की जांच हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी को पत्र भेजा गया था, जिसमें बंदोबस्त कार्यालय, दुमका में अवैध रूप से की गई नियुक्ति के बारे में जांच प्रतिवेदन मांगा गया था । पुनः आयुक्त कार्यालय, दुमका के पत्रांक- 562/स्था० दिनांक 24 सितम्बर, 2009 के द्वारा इस बारे में प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया था ।

श्री अशोक कुमार मिश्र, बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के द्वारा इस संबंध में पत्रांक- 382 दिनांक 31 अक्टूबर, 2009 तथा पत्रांक- 18/गो० दिनांक 17 नवम्बर, 2009 के द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा गया है । जाँच में यह पता चला है कि परिवादी द्वारा लगाये निम्न सभी आरोप सही है:-

1. बिना विज्ञापन निकाले सफाई मुहर्रिर का चयन किया गया है ।
2. बिना स्थानीयता को ध्यान में रख कर सफाई मुहर्रिर का चयन किया गया ।
3. बिना आरक्षण को लागू कर सफाई मुहर्रिर का चयन किया गया ।

जाँच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि श्री रवीन्द्र नाथ पण्डा, तत्कालीन बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका एवं श्री राम नारायण ठाकुर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका (सेवानिवृत्त) के द्वारा 27 मुहर्रिर की नियुक्ति मनमाने ढंग से बिना कोई प्रक्रिया अपनाये प्राप्त आवेदनों में (Pick and Choose) कर के की गई। इसके पूर्व वर्ष 1992, 1997 एवं 2001 में सफाई मुहर्रिर के संबंध में नियुक्ति की कार्रवाई की गई थी, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी श्री रवीन्द्र नाथ पण्डा द्वारा भ्रष्टाचार के उद्देश्य से अवैध रूप से बिना विज्ञापन निकाले एवं बिना प्रक्रिया का पालन किये मानमाने ढंग से 27 व्यक्तियों को सफाई मुहर्रिर के कार्य हेतु नियुक्त किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या-4110, दिनांक 21 जुलाई, 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन की गई, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । पुनः विभागीय संकल्प संख्या-8259, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्रीमती सिन्हा के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, संचालन पदाधिकारी-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-82, दिनांक 12 फरवरी, 2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में उक्त प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित आरोप संख्या-1 को प्रमाणित पाया गया है ।

श्री पण्डा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य के समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अधीन पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की पूर्णकालिक कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया । उक्त प्रस्तावित दण्ड को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-6725, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा श्री पण्डा से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई ।

उक्त पत्र का तामिला नहीं होने पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री पाण्डा को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का अनुरोध किया गया, परंतु इनका पूर्ण उत्तर अप्राप्त रहने के कारण पुनः विभागीय पत्रांक-4390, दिनांक 25 मई, 2016, पत्रांक-7842, दिनांक 9 सितम्बर, 2016 द्वारा स्मारित किया गया तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री पाण्डा को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का पुनः अनुरोध किया गया । फिर भी इनका पूर्ण उत्तर अप्राप्त रहा ।

श्री पाण्डा का पूर्ण उत्तर अप्राप्त रहने के कारण झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अधीन पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की पूर्णकालिक कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-5326, दिनांक 17 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई । झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1971, दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अतः, श्री रविन्द नाथ पण्डा, तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी, सम्प्रति-सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अधीन पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की पूर्णकालिक कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 940 -- 50